[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 10 मई, 2023

सा.का.नि. (अ).-केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 248 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना), नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) दूसरा संशोधन नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के, नियम 4 के, उप-नियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्ः-

"परन्तु कंपनी कोई आवेदन तब तक फाइल नहीं करेगी जब तक कि उसने धारा 137 के अधीन अतिशोध्य वितीय विवरण और धारा 92 के अधीन अतिशोध्य वार्षिक विवरणी, उस वितीय वर्ष की समाप्ति तक, जिसमें कंपनी ने अपना कारोबार संबंधी प्रचालन बंद कर दिया है, फाइल नहीं किया है:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार द्वारा धारा 248 की उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई आरंभ करने के पश्चात्, यिद कोई कंपनी आवेदन फाइल करने का आशय करती है, तो वह आवेदन फाइल करने से पूर्व धारा 137 के अधीन सभी लिम्बित वितीय विवरणों और धारा 92 के अधीन सभी लिम्बित विविरणियां फाइल करेगी:

परन्तु यह भी कि धारा 248 की उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई आरंभ किए जाने के अनुसरण में यदि रिजिस्ट्रार द्वारा धारा 248 की उप-धारा (5) के अधीन प्रकाशन के लिए एक बार नोटिस जारी कर दिया गया है, तो किसी कंपनी को इस उप-नियम के अधीन आवेदन फाइल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"।

[फा.सं. 1/28/2013-सीएल-V (पार्ट-III)]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि.1174(अ) तारीख 26 दिसम्बर, 2016 के द्वारा प्रकाशित किये गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 355(अ) तारीख 12 अप्रैल, 2017, सा.का.नि. 350 (अ) तारीख 8 मई, 2019, सा.का.नि. 420(अ) तारीख 29 जून, 2020, सा.का.नि. 436(अ) तारीख 9 जून, 2022, सा.का.नि. 658(अ) तारीख 24 अगस्त, 2022 और सा.का.नि. 298(अ) तारीख 17 अप्रैल, 2023 द्वारा संशोधित किये गए थे।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUBSECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, dated oth May, 2023

- G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (4) of section 248 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016, namely:-
- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Second Amendment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016 (hereafter referred to as the principal rules), in rule 4, in sub-rule (1), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that the company shall not file an application unless it has filed overdue financial statements under section 137 and overdue annual returns under section 92, up to the end of the financial year in which the company ceased to carry its business operations:

Provided further that in case a company intends to file the application after the action under sub-section (1) of section 248 has been initiated by the Registrar, it shall file all pending financial statements under section 137 and all pending annual returns under section 92, before filing the application:

Provided also that once notice under sub-section (5) of section 248 has been issued by the Registrar for publication pursuant to the action initiated under sub-section (1) of section 248, a company shall not be allowed to file the application under this sub-rule.".

[F. No. 1/28/2013-CL-V(Part-III)]

MANOJ PANDEY, Joint Secretary

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 of Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1174(E), dated the 26th December, 2016 and amended, *vide* notification numbers G.S.R 355(E), dated the 12th April, 2017, G.S.R 350(E), dated the 8th May, 2019, G.S.R 420(E), dated the 29th June, 2020, G.S.R. 436(E), dated the 9th June, 2022 G.S.R. 658(E), dated the 24th August, 2022 and G.S.R. 298(E), dated 17th April, 2023.